पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रषासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1657/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांकः 28.08.2018

विषयः <u>उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा अग्रसारित उत्तराखण्ड कार्मिक शिक्षक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के दिनांक 23.07.2018 के आन्दोलन नोटिस के सम्बन्ध में।</u>

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पत्रांक 48/उ0वि0 अधि0क0सं0सं0मो0 दिनांक 24.07.2018 द्वारा अग्रसारित उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के पत्रांक 28/प्रा0मा0/संयुक्त मोर्चा–नोटिस/देहरादून–18 दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से कारपोरेशन को अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित आन्दोलन के कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा सक्रिय रूप से आन्दोलन में प्रतिभाग करेगा तथा उक्त के क्रम में दिनांक 27.08.2018 से मोर्चा के घटक संगठनों/एसोसिएशनों के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के उक्त पत्र दिनांक 24.07.2018 के क्रम में ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की संयुक्त अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2018 को द्विपक्षीय वार्ता कर मोर्चा प्रतिनिधियों को ऊर्जा निगमों से सम्बन्धित मांगों पर की जा रही कार्यवाही की प्रगति /अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया था।

जैसा कि आप अवगत हैं कि कारपोरेशन का कार्य आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जिस कारण कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के प्राविधान लागू होते हैं, जिस हेतु आप अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को यह भी अवगत करा दें कि उक्त कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त लागू होगा, जिसके लिए वे स्वंय उत्तरदायी होंगें।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रस्तावित कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर वाले नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों की नामावली की सूची प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे तक मानव संसाधन विभाग के ई–मेल (**hr@ptcul.org**) पर श्री विवेकानन्द, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही दिनांक 27.08.2018 एवं 28.08.2018 को जिन कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है, उनकी सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कार्मिक की समय–समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है अथवा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं कारपोरेशन में औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 1657/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को उपरोक्तानुसार समान अनुरोध के साथ प्रेषित।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)